न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 40/2022

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/63

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री नवीन कुमार भट्ट पुत्र श्री सूरत लाल भट्ट निवासी वार्ड नं.1 गामडी नारायण, आजना, तहसील गढी जिला बॉसवाडा (ऋणी)
2. श्रीमती विध्या देवी भट्ट पत्नी श्री सूरत लाल भट्ट निवासी वार्ड नं.1 गामडी नारायण, आजना, तहसील गढी जिला बॉसवाडा (सह ऋणी/ बंधक कर्ता)
3. श्रीमती वीना देवी जोशी पत्नी श्री रजनीकान्त जोशी निवासी पण्ड्या मेमोरियल स्कूल के पिछे, ग्राम परतापुर, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा (सह ऋणी)
4. श्रीमती दिपिका वैष्णव पत्नी श्री विषंभर दास वैष्णव निवासी जवाहर कॉलोनी, ग्राम परतापुर, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा (जमानती)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 20–10–2022

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्री नवीन कुमार भट्ट पुत्र श्री सूरत लाल भट्ट निवासी वार्ड नं.1 गामडी नारायण, आजना, तहसील गढी जिला बॉसवाडा (ऋणी) 2– श्रीमती विध्या देवी भट्ट पत्नी श्री सूरत लाल भट्ट निवासी वार्ड नं.1 गामडी नारायण, आजना, तहसील गढी जिला बॉसवाडा (सह ऋणी/ बंधक कर्ता) 3– श्रीमती वीना देवी जोशी पत्नी श्री रजनीकान्त जोशी निवासी पण्ड्या मेमोरियल स्कूल के पिछे, ग्राम परतापुर, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा (सह ऋणी) 4– श्रीमती दिपिका वैष्णव पत्नी श्री विषंभर दास वैष्णव निवासी जवाहर कॉलोनी, ग्राम परतापुर, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा (जमानती) को दिनांक 22–08–2017 को राशि रुपया 3,50,000 (अक्षरे तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया ... र्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:05:02 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक **04–08–2021 को अक्रियान्वित आस्ति** में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक **14–09–2021** को कुल बकाया राशि **2,65,340 रू. (दो लाख पैसठ हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र)** एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरीटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण **श्रीमती विध्या देवी भट्ट पत्नी श्री सूरत लाल भट्ट की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 48, खसरा सं. 347, संकल्प सं.2/2016 ग्राम गामडी नारायण, ग्राम पंचायत टिमुरवा, पंचायत समिति अरथुना, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा पर स्थित है**। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग **1629.6** वर्ग फीट है, जिसके **पूर्व में बरामदा एवं रोड, पश्चिम में स्वयं का बाडा, उत्तर में श्री अभयराज का मकान, दक्षिण में श्री हरीश भट्ट का मकान है**, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप–खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक **22–09–2021** को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 04.08.2022 को जारी किये गए। अप्रार्थी सं. 1, 2 के नोटिस बाद तामील, अप्रार्थी सं. 3 का नोटिस बाद चस्पा दिनांक 01.09.2022 को प्रस्तुत हुए। अप्रार्थी सं. [illegible] 2022 को बाद तामील प्रस्तुत हुआ। समस्त अप्रार्थीण दौराने सुनवाई अनुपस्थित रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:05:02 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

दिनांक 20.10.2022 को भी समस्त अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 अनुपस्थित रहे। बार बार रुक रुक कर ऋणी/अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 को सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई. ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 से 4 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। समस्त अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस मे कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 20-10-2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:05:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner